

प्रेस नोट

दिनांक 26.09.2024, थाना- साइबर अपराध

जनपद गोण्डा।

थाना साइबर अपराध पुलिस द्वारा करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग के 01 सदस्य को किया गया

गिरफ्तार-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में गठित थाना साइबर अपराध पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 02/2024 धारा 419, 420 भादवि व 66सी व 66डी आईटी एक्ट से सम्बन्धित गैंग के एक सदस्य(अभियुक्त) 01. सचिन कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, निवासी न्यू रेलवे कालोनी, आनन्द नगर, थाना- को0 टूण्डला, जनपद- फिरोजाबाद को अवध बस स्टेशन लखनऊ के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद मोबाइल फोन व 1000/- रू0 नगद बरामद किया गया।।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री पी0डी0 मिश्रा पुत्र जैन्त्री प्रसाद मिश्रा निवासी म0न0 75, सिविल लाइन बहराइच रोड़, थाना को0नगर जनपद गोण्डा द्वारा साइबर क्राइम थाना गोण्डा को सूचना दिया कि उनकी पत्नी के नाम से 2013 में बीमा कराया था, कारणवश बीमा की धनराशि जमा नहीं हो पाया था। वर्ष 2021 में फोन आया की बीमा की 4 लाख रूपये जमा धनराशि का लाभ लेने के लिए दूसरे के नाम से बीमा करवाना पड़ेगा। यह कहकर 12 बीमा परिवारजनों के नाम से करवाया और बीमा के किस्तों के नाम पर करीब 80 लाख रूपये अलग अलग खातों में जमा करवाये गये। उक्त सूचना पर साइबर अपराध थाना पर मु0अ0सं0- 02/2024 धारा 419, 420 भा0द0वि0 व 66सी व 66डी आई.टी. एक्ट बनाम विजय राठौर आदि 13 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना में संलिप्त अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी व फ्राड की गयी धनराशि वापस कराने हेतु साइबर/सर्विलास सेल सहित टीमों का गठन कर प्र0नि0 साइबर अपराध थाना को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे। आज दिनांक 26.09.2024 को साइबर अपराध थाना पुलिस द्वारा गैंग के एक सदस्य (अभियुक्त) - सचिन कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, निवासी - न्यू रेलवे कालोनी, आनन्द नगर, थाना- को0 टूण्डला, जनपद- फिरोजाबाद को अवध बस स्टेशन लखनऊ के निकट से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद मोबाइल फोन व 1000/- रू0 नगद बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध साइबर अपराध थाना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ की अभियुक्त पूर्व में भिन्न- भिन्न निजी बीमा कम्पनियों में काम कर चुका है। वहां से बंद पड़े बीमों का विवरण लेकर बीमा धारकों को मेच्योरिटी भुगतान के टैक्स आदि के नाम पर फर्जी नाम पते के मो0नम्बर से बात करके पैसे मंगा लेते है और उन्हे यह विश्वास में लेते है कि सभी पैसे जुड़कर आपको एक साथ मिल जायेंगे। जांच में अभियुक्त के खाते में एक वर्ष में लगभग एक करोड़ रुपये का लेन- देन होना पाया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सचिन कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, निवासी – न्यू रेलवे कालोनी, आनन्द नगर, थाना- को0 टूण्डला, जनपद- फिरोजाबाद

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 02/2024 धारा 419, 420 भा0द0वि0 व 66सी व 66डी आई.टी. एक्ट थाना साइबर अपराध, जनपद गोण्डा।

बरामदगी

01. 01 अदद मोबाइल फोन

02. 1000/- रू0 नगद बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

प्र0नि0 श्री सत्य प्रकाश यादव, साइबर अपराध थाना, गोण्डा ।

मु0आ0 मोहन यादव

आ0 आदित्य कुमार शाह

आ0 अजय कुमार यादव

आ0 महेन्द्र पाल

म0आ0 प्रीती कौशल

म0आ0 अर्चना यादव

नोट:- पूर्व में साइबर सेल गोण्डा द्वारा फ्राड की गई धनराशि 4,43,669/- मुकदमा वादी के खाते में वापस कराये जा चुके है। गिरफ्तारी में सर्विलांस सेल गोण्डा व साइबर सेल गोण्डा का विशेष सहयोग रहा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 26.09.2024, थाना उमरीबेगमगंज,

जनपद गोण्डा।

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा जान मारने की नियत से बम फेकने व मारपीट करने के 03 वांछित

अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया,

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 146/2024 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 452, 427, 307, 34, 395 भादवि व 4/5 विस्फोटक अधि0 से सम्बन्धित वांछित आरोपी अभियुक्ता 01. शान्ति पासवान, 02. कोयल उर्फ ज्ञानमाल पासवान व 03. सुनीता पासवान को ढाकिया पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.05.2024 को वादी मेहीलाल पासवान पुत्र स्वंग हरदीन निवासी पुरेडाल थाना उमरीबेगमगंज गोण्डा द्वारा थाना उमरीबेगमगंज को सूचना दिया कि दिनांक 21.05.2024 को मैं अपना दिवाल बनाकर उस पर सिमेन्ट की चादर डाल कर परिवार के साथ गुजर बसर कर रहे थे की विपक्षीयण रामकरन आदि मोटरसाकिल व बोलेरो से 20-25 की संख्या में अपने अपने हाथ में हथियार, हाकी, डण्डा व हाथ गोला बम लेकर मेरे घर पर हमला कर दिया। दिवाल व सीमेन्ट की चादर व घर में रखा सारा समान तोड़ दिये। गाली गुप्ता देते हुए जान मारने के नियत से घर पर बम फेक दिया जिससे काफी चोटे आयी है। उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 146/2024 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 452, 427, 307, 34, 395 भादवि व 4/5 विस्फोटक अधि बनाम संतोष पासवान आदि 04 नामजद व 20-05 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसके क्रम में पूर्व में 12 अभियुक्तों की गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आज दिनांक 26.09.2024 को थाना उमरीबेगमगंज पुलिस टीम द्वारा 03 और वांछित अभियुक्ताओं 01. शान्ति पासवान, 02. कोयल उर्फ ज्ञानमाल पासवान व 03. सुनीता पासवान को ढाकिया पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्ताओं के विरुद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. शान्ति पासवान पत्नी रामकरन पासवान थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
02. कोयला उर्फ ज्ञानमाल पासवान पत्नी संतोष पासवान थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
03. सुनीता पासवान पत्नी रामलगन पासवान निवासी पुरेडाल डीहा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 146/2024 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 452, 427, 307, 34, 395 भादवि, 4/5 विस्फोटक अधिनियम 1984 व 3/25 आर्मस एक्ट थाना उमरीबेगमगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 संजीव कुमार चौहान
02. उ0नि0 सुमित सिंह
03. का0 शेषनाथ यादव
04. का0 हिमांशु शुक्ला
05. म0का0 रितीमा
06. म0का0 प्रियंका यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 26.09.2024, थाना नवाबगंज
जनपद गोण्डा।

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 315/2024 धारा 80(2), 85, 351(3) बीएनएस व 3/4 डी०पी० एक्ट से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त 01. अभिषेक पुत्र जगप्रसाद निवासी ग्राम महंगूपुर, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा को कोल्ड स्टोर तिराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.09.2024 को वादिनी द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी पुत्री को उसके ससुरालजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिए है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 315/2024 धारा 80(2), 85, 351(3) बीएनएस व 3/4 डी०पी० एक्ट बनाम अभिषेक आदि 04 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना क्षेत्राधिकारी तरबगंज द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त 01. अभिषेक पुत्र जगप्रसाद निवासी ग्राम महंगूपुर, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा को आज दिनांक 26.09.2024 को कोल्ड स्टोर तिराहा से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. अभिषेक पुत्र जगप्रसाद निवासी ग्राम महंगूपुर, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 315/2024 धारा 80(2), 85, 351(3) बीएनएस व 3/4 डी०पी० एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ०नि०मायाराम यादव
02. हे०का० सुनील कुमार
03. का० सुमित यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।